THE UTTAR PRADESH EXCISE (SECOND AMENDMENT) ACT, 1970

(U. P. ACT No. 23 OF 1970)

*[*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Excise (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam,* 1970.]

AN

ACT

further to amend the U. P. Excise Act, 1910, *for the purposes hereinafter appearing*

It is hereby enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Excise (Second Amendment) Act, 1970. Short title.

2. In section 3 of the U. P. Excise Act, 1910, hereinafter referred to as the principal Act, after clause (20), the following new clause shall be *inserted,* namely: Amendment of section 3 of the U. P. Act IV of 1910.

"(20-*a*) 'cultivation', with its grammatical variations, means the raising of a plant from seed, and includes the tending or protecting of a plant during its growth;".

3. For section 57 of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely :— Substitution of new section for section 57.

"57. Every person who owns or occupies any land or building and the agent of such owner or occupier, on or in which there has been any unlawful manufacture of any intoxicant, or any unlawful cultivation or collection of any plants from which an intoxicating drug can be produced, and every owner of a vessel or vehicle in which any intoxicant is manufactured contrary to the provisions of this Act, and every lekhpal or village policeman in whose jurisdiction such land or building is situate or vessel or vehicle is found, shall, in the absence of reasonable excuse, be bound to give notice of the same to a Magistrate or to an officer of the excise, police or land revenue department immediately the same comes to his knowledge." Duty of owner, occupier, lekhpal or village policeman to report certain matters.

4. For section 60 of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely:— Substitution of new section for section 60.

"60. Whoever, in contravention of this Act or of any rule or order made under this Act, or of any licence, permit or pass obtained under this Act— Penalty for unlawful import, export, transport, manufacture, possession, sale etc.

(*a*) imports, exports, transports or possesses any intoxicant; or

(*b*) manufactures any intoxicant ; or

(*c*) cultivates any hemp plant (*cannabis sativa*); or

(*d*) collects or sells any portion of the hemp plant (*cannabis sativa*) from which any intoxicating drug can be manufactured; or

(*e*) constructs or works any distillery or brewery; or

---

*(For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated May 2, 1970.)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on May 1, 1970 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on May 15, 1970.

(Received the Assent of the Governor on June 4, 1970 under Article 200, of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated June 6, 1970.)

Price 05 Paise

(*f*) uses, keeps or has in his possession any materials, stills, utensils, implements or apparatus whatsoever for the purpose of manufacturing any intoxicant other than *tari*; or

(*g*) removes any intoxicant from any distillery, brewery or warehouse licensed, established or continued under this Act; or

(*h*) bottles any liquor for purposes of sale; or

(*i*) sells any intoxicant, save in the case provided for by section 16; or

(*j*) taps, or draws *tari*, from any *tari*-producing tree in areas notified under section 42,

shall be punished with imprisonment which may extend to two years or with fine or with both:

Provided that in the case of conviction for an offence under clause (*b*), a sentence of not less than three months' imprisonment shall, in the absence of special and adequate reasons to the contrary to be mentioned in the judgment of the Court, be passed."

Substitution of new section for section 61.

5. For section 61 of the principal Act the following section shall be *substituted*, namely :—

"61. If any licensed vendor, or any person in his employ and acting on his behalf—

Penalty for unlawful selling to persons under eighteen, or employing persons under eighteen or women.

(*a*) in contravention of section 22 sells or delivers any liquor or intoxicating drug to any person apparently under the age of eighteen years; or

(*b*) in contravention of section 23 employs or permits to be employed on any part of his licensed premises referred to in that section, any person under the age of eighteen years or any woman;

he shall be punished with fine which may extend to one thousand rupees."

Substitution of new section for section 62.

6. For section 62 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:—

"62. Whoever renders or attempts to render fit for human consumption any spirit whether manufactured in India or not which has been denatured, or has in his possession any denatured spirit which has been rendered fit for human consumption or in respect of which any attempt has been made to render it so fit shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both."

Penalty for rendering denatured spirit fit for human consumption.

Substitution of new section for section 64.

7. For section 64 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:—

"64. Whoever, being the holder of a licence, permit or pass granted under this Act, or being in the employ of such holder and acting on his behalf—

Penalty for certain acts by licensee or his servant.

(*a*) fails to produce such licence, permit or pass on the demand of any Excise Officer or of any other officer duly empowered to make such demand; or

(*b*) in any case not provided for in section 60, wilfully contravenes any rule made under section 40; or

(*c*) wilfully does or omits to do anything in breach of any of the conditions of the licence, permit or pass not otherwise provided for in this Act,

shall be punishable for each such offence with fine which may extend to five hundred rupees."

8. For section 65 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:— Substitution of new section for section 65.

"65. (1) If any chemist, druggist, apothecary or keeper of dispensary allows any intoxicant which has not been *bona fide* medicated for medicinal purposes to be consumed on his business premises by any person not employed in his business, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.

Penalty for consumption in chemists shop etc.

(2) If any person not employed as aforesaid consumes any such intoxicant on such premises, he shall be punished with fine which may extend to five hundred rupees."

9. For section 68 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:— Substitution of new section for section 68.

"68. Whoever is guilty of any act or intentional omission in contravention of any of the provisions of this Act, or of any rule or order made under this Act and not otherwise provided for in this Act, shall be punished for each such act or omission with fine which may extend to five hundred rupees."

Penalty for offences not otherwise provided for.

10. In section 69 of the principal Act, for the proviso thereto the following provisos shall be *substituted*, namely:— Amendment of section 69.

"Provided that in the case of conviction for a second or subsequent offence under clause (*a*) or any of the clauses (*c*) to (*j*) of section 60, section 62, section 63 or section 65, a sentence of imprisonment for a term of not less than one month with or without fine, and in the case of conviction for a second or subsequent offence under clause (*b*) of section 60, a sentence of imprisonment for a term of not less than six months, with or without fine, shall in the absence of special and adequate reasons to the contrary to be mentioned in the judgment of the court, be passed :

Provided further that nothing in this section shall prevent any offence which might otherwise have been tried summarily under Chapter XXII of the Code of Criminal Procedure, 1898, from being so tried."

11. After section 69 of the principal Act, the following sections shall be *inserted*, namely:— Insertion of new sections 69-A, 69-B and 69-C.

"69-A. (1) Whenever any person is convicted of an offence punishable under the provisions of clause (*b*), clause (*c*), clause (*e*), clause (*f*) or clause (*h*) of section 60, or section 62, the court convicting such person may, at the time of passing the sentence on such person, order him to execute a bond for a sum proportionate to his means, with or without sureties, to abstain from the commission of any offence punishable under the said provisions during such period not exceeding three years as it may direct.

Demand for security for abstaining from commission of certain offences.

(2) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1898, shall *mutatis mutandis* apply to all matters connected with such bond as if it were a bond to keep the peace ordered to be executed under section 106 of the said Code.

69-B. Whoever abets an offence punishable under this Act shall, whether such offence be or be not committed in consequence of such abetment and notwithstanding anything contained in section 116 of the Indian Penal Code, be punished on conviction for such abetment with the same punishment as is provided for the principal offence.

Penalty for abetment.

69-C. (1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time the offence was committed was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of its business, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Offence by companies.

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary, managing agent, secretaries and treasurers, or other officer of the company, such director, manager, secretary or managing agent, secretaries and treasurers, or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation—For the purposes of this section—

(*a*) 'company' means any body corporate and includes a firm or other association of individuals ; and

(*b*) 'director', in relation to a firm, means a partner in the firm.

Amendment of section 70.

12. For sub-section (1) of section 70 of the principal Act, the following sub-section shall be ***substituted***, namely:—

"(1) No Magistrate shall take cognizance—

(*a*) of an offence punishable under section 60, section 63 or section 65, except on his own knowledge or suspicion or on the complaint or report of an Excise Officer; or

(*b*) of an offence punishable under section 64, section 66, section 67 or section 68 except on the complaint or report of the Collector or an Excise Officer authorised by him by a general or special order in that behalf."

Insertion of new section 71-A.

13. After section 71 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

Provisions regarding pardon etc. to apply to offences punishable under the Act.

"71-A. The provisions of sections 337, 339 and 339-A of the Code of Criminal Procedure, 1898, shall apply in relation to offences punishable under this Act as they apply in relation to offences mentioned in the said section 337."

उत्तर प्रदेश एक्साइज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1970

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1970]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 1 मई, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 15 मई, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 4 जून, 1970 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 6 जून, 1970 ई० को प्रकाशित हुआ]

यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, 1910 का आगे दिये हुए प्रयोजनों के निमित्त अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारतीय गणतन्त्र के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एक्साइज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1970 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

2—यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, 1910, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, खण्ड (20) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :— यू० पी० ऐक्ट संख्या 4, 1910 की धारा 3 का संशोधन

"(20-क) व्याकरण सम्बन्धी परिवर्तनों सहित, "खेती" का तात्पर्य बीज से किसी पौधे को उगाना है, और इसके अन्तर्गत पौधे के बढ़ने के दौरान में उसकी देखभाल या उसका संरक्षण करना भी है।"

3—मूल अधिनियम की धारा 57 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :— धारा 57 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

"57—प्रत्येक व्यक्ति जिसके स्वामित्व अथवा अध्यासन में कोई ऐसी भूमि या भवन हो जिस पर या जिसमें किसी मादक वस्तु का कोई अवैध निर्माण हुआ हो, या किन्हीं ऐसे पौधों की कोई अवैध खेती या संग्रहण हुआ हो जिनसे मादक भेषज तैयार किया जा सकता हो, और ऐसे स्वामी या अध्यासी का अभिकर्ता, और किसी ऐसे जलयान या गाड़ी का, जिसमें इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल किसी मादक वस्तु का निर्माण किया जाय, प्रत्येक स्वामी, और प्रत्येक लेखपाल अथवा ग्राम्य पुलिस कर्मचारी जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसी भूमि या भवन स्थित हो अथवा जलयान या गाड़ी पायी जाय, तत्सम्बन्धी सूचना जानकारी में आने पर, सिवाय उस दशा में जबकि उसके द्वारा ऐसा न करने के लिये उचित कारण हो, तुरन्त ही किसी मैजिस्ट्रेट या आबकारी, पुलिस अथवा राजस्व विभाग के किसी अधिकारी को देने के लिये बाध्य होगा।" स्वामी, अध्यासी, लेखपाल या ग्राम्य पुलिस कर्मचारी का कुछ बातों की सूचना देने का कर्तव्य

4—मूल अधिनियम की धारा 60 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:— धारा 60 के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

"60—जो व्यक्ति इस अधिनियम का अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश का, अथवा इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किसी लाइसेंस, परमिट या पास का उल्लंघन करके— अवैध आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण, कब्जा, विक्रय, आदि के लिये शास्ति

(क) किन्हीं मादक वस्तुओं का आयात, निर्यात, परिवहन करता है या उनको अपने कब्जे में रखता है; या

(ख) किसी मादक वस्तु का निर्माण करता है; या

(ग) भांग (कैनेबिस सेटाइवा) की खेती करता है; या

(घ) भांग (कैनेबिस सेटाइवा) के किसी ऐसे भाग का संग्रह या विक्रय करता है जिससे कोई मादक भेषज निर्मित किया जा सकता है; या

(ङ) कोई आसवनी अथवा यवासवनी निर्मित करता है या चलाता है; या

(च) किसी प्रकार का कोई सामान, भबका, बर्तन, औजार या उपकरण ताड़ी से भिन्न किसी मादक वस्तु के निर्माण के लिये प्रयुक्त करता है अथवा अपने पास या अपने कब्जे में रखता है; या

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 2 मई, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

(छ) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त, स्थापित या चालू किसी आसवनी, यवासवनी, या भाण्डागार से कोई मादक वस्तु हटाता है; या

(ज) विक्रय के लिये किसी शराब को बोतल में बन्द करता है ; या

(झ) धारा 61 में व्यवस्थित दशा के सिवाय कोई मादक वस्तु बेचता है; या

(ञ) धारा 42 के अधीन विज्ञापित क्षेत्रों में ताड़ी पैदा करने वाले वृक्षों से ताड़ी चुआता है या निकालता है,

तो उसे कारावास का दण्ड दिया जायगा जो दो वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड दिया जायगा या दोनों दण्ड दिये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ख) के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्धि की दशा में ऐसे कारावास का दण्ड अवश्य दिया जायगा जिसकी अवधि तीन महीने से कम नहीं होगी जब तक कि न्यायालय के निर्णय में इसके विपरीत कोई विशेष तथा पर्याप्त कारण न दिया गया हो।"

धारा 61 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

5—मूल अधिनियम की धारा 61 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

अट्ठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के हाथ अवैध रूप से बेचने अथवा अट्ठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों या महिलाओं को सेवायोजित करने के लिये शास्ति

" 61—यदि कोई लाइसेंस प्राप्त विक्रेता अथवा उसके सेवायोजन में और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति—

(क) धारा 22 का उल्लंघन करके कोई शराब या मादक भेषज किसी ऐसे व्यक्ति को बेचता है या देता है जो स्पष्टतः अट्ठारह वर्ष से कम आयु का हो; या

(ख) धारा 23 का उल्लंघन करके अपने लाइसेंस प्राप्त भू-गृहादि के किसी भाग में, जिसका उल्लेख उक्त धारा में किया गया है, अट्ठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को, या किसी महिला को, सेवायोजन में रखता है अथवा सेवायोजित करने की अनुज्ञा देता है;

तो उसे अर्थदण्ड दिया जायगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है।"

धारा 62 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

6—मूल अधिनियम की धारा 62 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

विकृत स्प्रिट को मानव उपयोग के योग्य बनाने के लिये शास्ति

" 62—जो व्यक्ति किसी ऐसी स्प्रिट को चाहे वह भारत में निर्मित हुई हो या नहीं जो विकृत हो गई हो, मानव उपयोग के योग्य बनाता है या बनाने का प्रयास करता है, अथवा उसके कब्जे में कोई ऐसी विकृत स्प्रिट हो जो मानव उपयोग के योग्य बनायी गयी हो अथवा जिसके सम्बन्ध में उसे इस योग्य बनाने का कोई प्रयास किया गया हो, तो उसे ऐसी अवधि के लिये कारावास का दण्ड दिया जायगा जो एक वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों दण्ड दिये जायेंगे।"

धारा 64 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

7—मूल अधिनियम की धारा 64 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

लाइसेंसधारी या उसके सेवक द्वारा कतिपय कार्यों के लिये शास्ति

"64—जो व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस, परमिट या पास का गृहीता होते हुए, अथवा ऐसे गृहीता के सेवा योजन में और उसकी ओर से कार्य करते हुए—

(क) किसी आबकारी अधिकारी या किसी ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर, जो इस प्रकार मांगने के लिये यथाविधि अधिकृत हो, ऐसा लाइसेंस, परमिट या पास प्रस्तुत नहीं करता है; या

(ख) किसी ऐसे मामले में जिसकी व्यवस्था धारा 60 में न की गयी हो, धारा 40 के अधीन बनाये गये किसी नियम का जानबूझ कर उल्लंघन करता है ; या

(ग) लाइसेंस, परमिट या पास की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करके जानबूझकर, कोई ऐसा कार्य करता है या कार्यलोप करता है, जिसकी इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो ;

उसे ऐसे प्रत्येक अपराध के लिये अर्थ-दण्ड दिया जायेगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।"

8—मूल अधिनियम की धारा 65 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

धारा 65 के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

केमिस्ट की दुकान, आदि में उपभोग करने के लिये शास्ति

"65—(1) यदि कोई केमिस्ट, औषधि विक्रेता, औषधिक (अपोथेकेरी) या कोई औषधालय रखने वाला किसी ऐसी मादक वस्तु को जिसे यथार्थ रूप में औषधीय प्रयोजन के लिये औषधियुक्त न किया गया हो, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसके व्यवसाय में सेवायोजित न हो, अपने व्यवसाय के भू-गृहादि में उपभोग किये जाने की अनुज्ञा देता है तो उसे ऐसी अवधि के लिये कारावास का दण्ड दिया जायगा जो छः माह तक हो सकता है या अर्थदण्ड दिया जायगा जो दो हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

(2) यदि कोई व्यक्ति जो पूर्ववत प्रकार से सेवायोजित न हो ऐसे भू-गृहादि में किसी ऐसी मादक वस्तु का उपभोग करता है तो उसे अर्थदण्ड दिया जायगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।"

9—मूल अधिनियम की धारा 68 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

धारा 68 के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

ऐसे अपराधों के लिये शास्ति जिनकी अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो

"68—जो व्यक्ति इस अधिनियम के, अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में किसी कार्य का या साभिप्राय कार्यलोप का, जिसकी इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, दोषी हो, उसे प्रत्येक कार्य या कार्यलोप के लिये अर्थ-दण्ड दिया जायगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।"

10—मूल अधिनियम की धारा 69 में, उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिये जायें, अर्थात् :—

धारा 69 का संशोधन

"प्रतिबन्ध यह है कि धारा 60 के खण्ड (क) या खण्ड (ग) से (ञ) तक के किसी भी खण्ड, धारा 62, धारा 63, या धारा 65 के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये दोष-सिद्धि की दशा में ऐसी अवधि के लिये जो एक माह से कम न होगी, अर्थ-दण्ड सहित या रहित, कारावास का दण्ड दिया जायगा, और धारा 60 के खण्ड (ख) के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये दोष-सिद्धि की दशा में, ऐसी अवधि के लिये जो छः माह से कम न होगी, अर्थ-दण्ड सहित या रहित, कारावास का दण्ड दिया जायगा, जब तक कि न्यायालय के निर्णय में इसके विपरीत कोई विशेष तथा पर्याप्त कारण न दिया गया हो :

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस धारा में कोई बात किसी ऐसे अपराध को जिस पर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अध्याय 22 के अधीन सरसरी तौर पर अन्यथा विचार किया जा सकता हो, इस प्रकार विचार किये जाने पर रुकावट नहीं डालेगी।"

अधिनियम संख्या 5, 1898

11—मूल अधिनियम की धारा 69 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात् :—

नयी धारा 69-क, 69-ख और 69-ग का बढ़ाया जाना

कतिपय अपराधों को करने से परिवर्जन के लिये प्रतिभूति की मांग करना

"69-क—(1) जब कभी कोई व्यक्ति धारा 60 के खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (ङ), खण्ड (च) या खण्ड (ज) या धारा 62 के उपबन्धों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष हो, तो ऐसे व्यक्ति को दोषी सिद्ध करने वाला न्यायालय उसे दण्डादेश देते समय यह आदेश दे सकता है कि वह तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि में, जैसा वह निदेश दे, उक्त उपबन्धों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को करने से परिवर्जन के लिये, प्रतिभूतियों सहित अथवा बिना प्रतिभूतियों के, ऐसी धनराशि का जो उसके साधनों के अनुपात में हो, एक बन्ध-पत्र निष्पादित करें।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसे बन्ध-पत्र से सम्बद्ध समस्त विषयों पर लागू होंगे मानों कि यह बन्ध-पत्र शान्ति बनाये रखने के लिये उक्त संहिता की धारा 106 के अधीन दिये गये आदेश से निष्पादित बन्ध-पत्र हो।

अधिनियम संख्या 5, 1898

दुष्प्रेरण के लिये शास्ति

69-ख—जो व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 116 में किसी बात के होते हुये भी, दोष सिद्धि पर ऐसे दुष्प्रेरण के लिये वही दण्ड दिया जायगा जो मूल अपराध के लिये उपबन्धित है, चाहे ऐसा

अधिनियम संख्या 45, 1860

69-ग—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया हो तो, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अपराध किये जाने के समय उस का व्यवसाय चलाने के लिये कम्पनी का प्रभारी तथा उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो और साथ ही कम्पनी भी, अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उन्हें दण्ड दिया जा सकेगा :

कम्पनियों द्वारा अपराध

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में दी गयी किसी बात से ऐसा व्यक्ति दण्ड का भागी नहीं होगा यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसा अपराध किये जाने को रोकने के लिये सभी प्रकार का यथोचित परिश्रम किया था।

(2) उपधारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाय कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव, मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेटरीज एवं ट्रेजरर्स, अथवा अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस पर उसकी किसी उपेक्षा के कारण आरोप्य हो तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव, मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेटरीज एवं ट्रेजरर्स अथवा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जायगा तथा तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(ए) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है तथा इसके अन्तर्गत फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य संघ भी है; और

(बी) फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है।"

धारा 70 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(1) कोई मैजिस्ट्रेट जब तक कि—

(ए) उसकी अपनी जानकारी या सन्देह न हो अथवा किसी आबकारी अधिकारी द्वारा परिवाद या रिपोर्ट न की जाय, धारा 60, धारा 63 या धारा 65 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, या

(बी) कलेक्टर या उसके द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी आबकारी अधिकारी द्वारा परिवाद या रिपोर्ट न की जाय, धारा 64, धारा 66, धारा 67 या धारा 68 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का,

संज्ञान न करेगा।"

नई धारा 71-क का बढ़ाया जाना

13—मूल अधिनियम की धारा 71 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"71-क—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 337, 339 और 339-क के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त धारा 337 में उल्लिखित अपराधों के संबंध में लागू होते हैं।"

अधिनियम संख्या 5, 1898

क्षमा, आदि से संबंधित उपबन्ध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों पर लागू होंगे

———

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 131 जन० (लेज०)—1970—1,830 (मे०)।